"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2026 — आषाढ़ 30, शक 1948

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/7372/2026-WCD.— राज्य शासन एतद्द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 18 में निहित प्रावधान का प्रयोग में लाते हुए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में श्री मनमथ नाथ शर्मा, पुराना चंदनियापारा, जांजगीर को नियुक्त करता है।

2– बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 19 के प्रावधान अनुसार उक्त नियुक्त सदस्य पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो तब तक पद धारण करेगा।

3– अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर सदस्य के रूप में पद धारण करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लविना पाण्डेय, उप सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.